Witness No.--**07**--- For-**अभियोजन साक्षी** Deposition taken... ... ...
the-**-16.12.2024**-day of-**सोमवार** Witness's apparent age- **39 वर्ष**
States on affirmation-**शपथपूर्वक बयान** My name is-- **श्री पोखन लाल धनकर**
wife of/ son of **ईश्वर लाल धनकर** Occupation-- **किसानी**
पता- ग्राम भरदाकला थाना अर्जुंदा जिला बालोद छ०ग०
आप० प्रक० क्र०-1153/2022 शा० वि०जितेन्द्र धनकर
प्रारंभ समय-12.57 बजे से ।

<u>//राज्य की ओर से एडीपीओ श्री उत्तम कुमार गोरे//</u>

01. मैं आरोपी जितेन्द्र धनकर को जानता हूं । आज से लगभग दो वर्ष पूर्व मैं आरोपी जितेन्द्र धनकर की जमानत लेने थाना अर्जुंदा गया था तब पुलिस वालों के कहने पर मैंने हस्ताक्षर किया था । जप्ती पत्र प्रपी 08 व गिरफतारी पत्र प्रपी 09 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

अभियोजन अधिकारी ने साक्षी को सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। प्रकरण परिसीलन उपरांत अनुमति प्रदान की गई।

02. यह कहना गलत है कि घटना दिनांक 08.05.2022 को आरोपी जितेन्द्र धनकर के द्वारा थाना अर्जुंदा में पेश करने पर ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 04 एम टी 6072 के आर सी बुक, बीमा पत्र , परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र , फिटनेस प्रमाण पत्र व जितेन्द्र धनकर के ड्राइविंग लाइसेंस को पुलिस वाले मेरे समक्ष जप्त किये थे । यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष आरोपी की गिरफतारी की कार्यवाही किये थे । यह कहना गलत है कि उपरोक्त कार्यवाही मेरे समक्ष हुई थी तब मैंने उपरोक्त दस्तावेजों पर अपना हस्ताक्षर किया था । यह कहना गलत है कि आज मैं सही कथन नहीं कर रहा हूं ।

<u>//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री टी० एस० साहू वास्ते आरोपी//</u>

03- यह कहना सही है कि सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मैंने थाना अर्जुंदा में किया है । यह कहना सही है कि मैंने दस्तावेजो पर हस्ताक्षर पुलिस वालों के कहने पर किया । यह कहना सही है कि मेरे समक्ष किसी प्रकर की कोई कार्यवाही नहीं हुई है मात्र मैंने अपना हस्ताक्षर किया है ।

समाप्ति समय-1.07 बजे।

मेरे निर्देश पर टंकित **वाचित सत्य स्वीकृत**

सही/-
(महेश बाबू साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही जिला बालोद(छ.ग.)

सही/-
(महेश बाबू साहू)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गुण्डरदेही जिला बालोद(छ.ग.)